

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 689

दिनांक 03 फरवरी, 2026

जीनोम संशोधित चावल की किस्में

689. श्री सुधाकर सिंह:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का दोनों अनुमोदित जीनोम द्वारा संशोधित चावल किस्मों नामतः डीआरआर धान-100 (आईईटी 32042) और पूसा डीएसटी राइस-1 (आईईटी 32043) की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार है ताकि उनके परीक्षण परिणामों, विष विज्ञान और एलर्जी संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा सके;
- (ख) क्या जीनोम द्वारा संपादित चावल की किस्मों के संबंध में सुरक्षा, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून, परीक्षण प्रोटोकॉल और विनियामक ढांचा पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारत में अनुमोदित जीनोम संशोधित चावल की किस्मों के कारण ऐसे कुछ क्षेत्र संदूषित हो गए हैं और यदि हां, तो इसके लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं; और
- (घ) क्या सरकार ने किसानों के अधिकारों और बीज संप्रभुता के संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति बनाई है अथवा अपनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री  
(श्री भागीरथ चौधरी )

(क) एवं (ख) : जी, हाँ। जीनोम एडिटेड चावल की दो किस्मों (डीआरआर धान-100 तथा पूसा डीएसटी चावल-1) के निष्पादन मूल्यांकन परिणाम अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीआर) की इंटरनेट साइट <http://www.aicrip-intranet.in/> पर उपलब्ध है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), ने बाह्य रूप से इन्ट्रोड्यूस किए गए डीएनए से मुक्त साइट-डाइरेक्टेड न्यूक्लियज-1 (एसडीएन 1) तथा साइट डाइरेक्टेड न्यूक्लियज-2 (एसडीएन 2) जीनोम एडिटेड फसल को जीएम विनियम नियमों (नियम 1989 का नियम 7-11) ओएम एफ. सं. सी-12013/3/2020-सीएस-III दिनांक 30 मार्च,

2022 के तहत छूट दी है। इसके अलावा, जैव सुरक्षा संबंधी मुद्दों का भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा जारी ओएम सं. फाइल सं. पीआईडी-15011/1/2022-पीपीबी-डीबीटी दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से जारी 'जीनोम एडिटेड पौधों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश, 2022' तथा ओएम सं. फाइल सं. पीआईडी-15011/1/2022-पीपीबी-डीबीटी दिनांक 04.10.2022 के तहत जारी 'एसडीएन-1 और एसडीएन-2 श्रेणियों के अधीन जीनोम एडिटेड पौधों की नियामक समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं' के अनुसार समाधान किया गया है। नियामक प्रकटीकरण मानदंडों के अनुसार जानकारी को जेनेटिक मैनुपुलेशन पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम) बैठकों के आधिकारिक रूप से जारी किए गए कार्यवृत्त को सार्वजनिक डोमेन ([https://ibkp.dbtindia.gov.in/Content/Decision\\_Docs](https://ibkp.dbtindia.gov.in/Content/Decision_Docs)) में प्रदर्शित किया जाता है।

(ग) : चावल मुख्य रूप से स्वपरागित फसल है जिसमें प्राकृतिक आउट-क्रॉसिंग दर बहुत कम होती है। किस्मों की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए सभी चावल किस्मों पर मानक बीज उत्पादन, पृथक्करण दूरी तथा जेनेटिक शुद्धता प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। अतः वर्तमान में, अनुमोदित जीनोम एडिटेड चावल किस्मों से संबंधित क्रॉस संदूषण का कोई प्रमाण नहीं है।

(घ) : सरकार ने पौध किस्मों तथा किसानों के अधिकारों के संरक्षण (पीपीवी एंड एफआर) अधिनियम 2001, के तहत किसानों के अधिकारों और बीज संप्रभुता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जीनोम एडिटेड किस्मों पीढ़ियों तक बीजों को बचाने तथा पुनः प्रयोग करने के लिए समान रूपी किसान केंद्रित सिद्धांतों द्वारा शासित होती है।

\*\*\*\*\*